

राजस्थान विधान सभा
अष्टम सत्र
कार्य-सूची
शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल, 2012
बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(अ) प्रतिवेदन

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या-1) (राज्य वित्त) ।
- 2- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या-2) (सिविल) ।
- 3- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिये प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या-4) (वाणिज्यिक) ।

(ब) वार्षिक प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड का 64वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011 सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. याचिकाओं का उपस्थापन

- (I) श्री बाबू सिंह राठौड़, सदस्य, विधान सभा, राजस्थान बजट 2012-13 में की गई घोषणानुसार शेरगढ़ तहसील मुख्यालय पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।
- (II) श्री शिवजीराम मीणा, सदस्य, विधान सभा, त्रिवेणी चौराहे से देवली सड़क को अन्धे मोड़ों से मुक्त करवाने एवं मोरला चौराहे से देवली तक की छूटी हुई सड़क का निर्माण करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।
- (III) श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), सदस्य, विधान सभा, नदबई (भरतपुर) क्षेत्र में डामर सड़क निर्माण करवाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

4. गैर सरकारी कार्य

गैर सरकारी संकल्प

- (1) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य विधान सभा निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगी:-

‘यह सदन संकल्प करता है कि प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे दाम्पत्य बिखराव के मामलों को रोकने के लिये सरकार प्रभावी कदम उठाये।’

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (2) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य विधान सभा निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगी:-

‘यह सदन संकल्प करता है कि प्रदेश में सरकार शराब, गुटका, जर्दा, पान मसाला आदि पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाए।’

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (3) श्री अनिल जैन, सदस्य विधान सभा निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

‘यह सदन संकल्प करता है कि राज्य में तम्बाकू एवं गुटके से संबंधित सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जा रहे पोस्टर एवं विज्ञापन पर सरकार पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए।’

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (4) श्री प्रभुलाल सैनी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

‘यह सदन संकल्प करता है कि पत्रकारिता (चौथे स्तम्भ) का दायरा बढ़ाने एवं आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद पर बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पालना निश्चित कराने हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार को पुरजोर सिफारिश करें।’

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

- (5) श्री ओम बिरला, सदस्य विधान सभा निम्नांकित गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

‘यह सदन संकल्प करता है कि स्वस्थ, शिक्षित, विकसित, स्वर्णिम राजस्थान के निर्माण हेतु सरकार आवश्यक कदम उठाये।’

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

प्रकाश चन्द्र पिछोलिया
विशेषाधिकारी

विधान सभा भवन,

जयपुर

दिनांक 12 अप्रैल, 2012